Speed Post

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. NS/4/2018/STGOR/DELAAL/RU-III

Date: 20.08.2019

To,

1. Principal Secretary,
Revenue and Disaster Management Department,
Govt. of Odisha,
Bhubaneswar, Odisha - 751001

2. District Collector,
District – Sundergarh,
Odisha

Sub: **Minutes of the Meeting held on 16.07.2019 under Chairmanship of Hon'ble Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) in case of** Shri Nishben Samad (President) Tarkera (Bijadih) Pesa Gram Sabha, AT/P.O. – Tarkera (Bijadihi), P.S-Rajgangpur, District-Sundargarh, (Odisha) 770033 regarding for payment of compensation for damage of raiyati lands of land owners of village namely Tarkera, Sadhumunda,udruma and Samlaimunda under Kutra Tahsil of Scheduled District of Sundargarh (Odisha) due to overflow of water of Mandira Dam Project.

I am directed to enclose herewith **Minutes of the Meeting** held on **16.07.2019** on the above cited subject.

It is, requested that action taken report in the matter may please be sent to the Commission within 15 Days.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Dr. Lalit Latta)
Director

Copy for information:

1. Shri Nishben Samad (President)
Tarkera (Bijadih) Pesa Gram Sabha,
AT/P.O. – Tarkera (Bijadihi), P.S-Rajgangpur,
District-Sundargarh, (Odisha) 770033
2. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
3. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- NS/4/2018/STGOR/DELAAL/RU - III)

श्री निशबेन सामद (अध्यक्ष) तारकेड़ा (बीजाडीह) पेसा ग्रामसभा, पोस्ट- तारकेड़ा (बीजाडीह), थाना- राजगंगपुर, जिला- सुंदरगढ़, ओडिसा द्वारा सुंदरगढ़ जिले के कुत्र तहसील अंतर्गत तारकेड़ा, साधुमुंडा, उडरूमा और समलईमुंडा गांवों में मंदिरा डैम परियोजना के पानी से रैयती जमीन प्रभावित होने पर मुआवजा दिलाने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉ. नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 16.07.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 16.07.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री निशबेन सामद (अध्यक्ष) तारकेड़ा (बीजाडीह) पेसा ग्रामसभा, पोस्ट- तारकेड़ा (बीजाडीह), थाना- राजगंगपुर, जिला- सुंदरगढ़, ओडिसा द्वारा सुंदरगढ़ जिले के कुत्र तहसील अंतर्गत तारकेड़ा, साधुमुंडा, उडरूमा और समलईमुंडा गांवों में मंदिरा डैम परियोजना के पानी से रैयती जमीन प्रभावित होने पर मुआवजा दिलाने के संबंध में आयोग को अभ्यावेदन दिया था। जिस पर आयोग ने संज्ञान लेकर दिनांक 27.11.2018 को प्रमुख सचिव, राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग और जिला कलेक्टर, सुंदरगढ़ को नोटिस जारी कर जानकारी मांगी थी।
2. मामले में जिला कलेक्टर कार्यालय, सुंदरगढ़ द्वारा दिनांक 12.12.2018 को जवाब प्राप्त हुआ था जिसमें बताया गया है कि राउरकेला स्टील प्लांट को पानी देने के लिए वर्ष 1957-58 में संख नदी पर मंदिरा डैम बनाया गया था। इसमें 31 गांवों के 1193 परिवार विस्थापित हुए थे। इसमें 639 परिवारों का पुनर्वास कॉलोनी में किया गया जबकि अन्य विस्थापित परिवारों को उनके इच्छा के अनुरूप सरकारी जमीन उपलब्ध कराई गई तथा उचित मुआवजा दिया गया। 60 के दशक में मंदिरा जलाशय के निर्माण से कृषियोग्य भूमि पर जल जमाव व बालू जमा होने के कारण ग्रामीणों ने शिकायत की। मामले में जमीन अधिग्रहण अधिकारी, सुंदरगढ़ और राउरकेला स्टील प्लांट के भूमि अधिग्रहण अधिकारी

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

ने संयुक्त सर्वे की गई। संयुक्त सर्वे में यह बताया गया था कि 8 गांवों के 356.58 एकड़ भूमि बालू जमाव से प्रभावित है।

3. मामले में मंत्री, राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दिनांक 06.10.2018 को बैठक की गई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग के तकनीकी विशेषज्ञ, जल संसाधन विभाग और राउरकेला स्टील प्लांट के द्वारा 45 दिनों में एक सर्वे किया जाए। जवाब की प्रति अभ्यावेदक को भेजी गई थी।

4. मामले में माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 16.07.2019 को बैठक आहूत की गई जिसमें सुंदरगढ़ जिला कलेक्टर और अतिरिक्त सचिव, राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग, उपस्थित हुए।

5. आयोग ने पहले अभ्यावेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा, निशबेन सामद ने बताया कि मंदिरा डैम बनाने के लिए 70 साल पहले हमारे पूवर्जों से खेती की जमीन ले ली गई थी। उसका उचित मुआवजा नहीं दिया गया। वर्तमान स्थिति में डैम का पानी खेत में आने से बालू जमा हो गया है, खेती पूरी तरह से नष्ट हो गई है। 8 गांव इससे प्रभावित हैं, इनमें सिर्फ तारखेड़ा गांव में करीब 1000 से 1100 की आबादी प्रभावित है। अन्य दूसरे गांवों की आबादी इससे अधिक है।

6. जिला कलेक्टर सुंदरगढ़ ने बताया कि वर्ष 1958 में राउरकेला स्टील प्लांट को पानी देने के लिए मंदिरा डैम बनाया गया था। इसका लाभार्थी चूंकि राउरकेला स्टील प्लांट था तो मुआवजा उनके द्वारा ही दिया जाना था लेकिन अभी तक पूरी तरह से नहीं दिया गया। पूरी जमीन उन्हें लीज पर दी गई है। राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा एक नया सर्वे किया जाना है जो अभी पूरा नहीं हो पाया है। 70 साल पुराना मामला है कई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं इसलिए ज्यादा समय लग रहा है।

7. राजस्व व आपदा प्रबंधन के अधिकारी ने बताया कि राजस्व विभाग और राउरकेला स्टील प्लांट के द्वारा संयुक्त सर्वे किया जा रहा है।

8. अभ्यावेदक ने कहा, हमें काफी समय से नुकसान हो रहा है डैम के वजह से भूमि अनउपयोगी हो चुकी है तो ऐसे में हमें प्रत्येक वर्ष का 5 लाख रुपये के हिसाब से 70 साल का मुआवजा मिलना चाहिए साथ ही जमीन का 50 लाख रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

9. आयोग द्वारा मामले में निम्नलिखित अनुशंसा की गई :

- अभ्यावेदक अपनी समस्त मांगों को लिखित रूप मे 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करें
- राजस्व विभाग, राउरकेला स्टील प्लांट के साथ मिलकर जल्द से जल्द सर्वे का काम पूरा करे।
- अगली बैठक के लिए सचिव, इस्पात मंत्रालय और अध्यक्ष सेल को भी नोटिस भेजी जाएगी।
- सर्वे पूरा होने पर एक कमेटी गठित की जाए जिसमें राउरकेला स्टील प्लांट, जिला प्रशासन के साथ ही इस्पात मंत्रालय के अधिकारी और अभ्यावेदक भी शामिल हो।

08.08.19

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- NS/4/2018/STGOR/DELAAL/RU - III)

श्री निशबेन सामद (अध्यक्ष) तारकेड़ा (बीजाडीह) पेसा ग्रामसभा, पोस्ट- तारकेड़ा (बीजाडीह), थाना- राजगंगपुर, जिला- सुंदरगढ़, ओडिसा द्वारा सुंदरगढ़ जिले के कुत्र तहसील अंतर्गत तारकेड़ा, साधुमुंडा, उडरूमा और समलईमुंडा गांवों में मंदिरा डैम परियोजना के पानी से रैयती जमीन प्रभावित होने पर मुआवजा दिलाने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदन के मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉ. नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 16.07.2019 को आयोग में आयोजित सिटिंग में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
  1. डॉ नंद कुमार साय, — माननीय अध्यक्ष
  2. श्री हरिकृष्ण डामोर, — माननीय सदस्य
  3. श्री शिशिर कुमार रथ, — संयुक्त सचिव
  4. श्री पी.टी जेम्सकुटी, — उप सचिव
  5. श्री एस.पी मीणा, — सहायक निदेशक
- **राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग, ओडिशा शासन**
  1. ए. कुमार नायर, — अतिरिक्त सचिव
- **जिला कलेक्टर कार्यालय, सुंदरगढ़**
  1. श्री निखिल पवन कल्याण, — कलेक्टर, सुंदरगढ़
- **अभ्यावेदक**
  1. श्री निशबेन सामद